"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 जून 2017 — ज्येष्ठ 31, शक 1939

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2017

आदेश

क्रमांक एफ 1-13/2017/सक/26 . — छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-04-2017 द्वारा छत्तीसगढ़ योग आयोग का गठन किया गया है. उक्त अधिसूचना में आयोग के परिचालन के लिए पृथक से नियम बनाये जाने का उल्लेख है. अत: छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग एतद्द्वारा योग आयोग के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है.

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तृत तथा प्रारंभ :-**

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "योग आयोग नियम 2017" है.
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
   (3) ये नियम, इस आदेश जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. उद्देश्य :-

   2.1 "योग आयोग" का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली एवं निरोग जीवन जीने के लिए योग से परिचित कराना तथा प्रतिदिन योगाभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित कराना है.
   2.2 समग्र व्यक्तित्व विकास, जीवन शैली एवं आरोग्य जीवन के लिए योग को प्रचलित किया जाना है.
   2.3 उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग/आयोग संभाग, जिले, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर तक आवश्यक उपाय एवं कदम उठायेगा.
   2.4 "योग आयोग" का उद्देश्य योग संबंधी जागरूकता, प्रचार-प्रसार एवं शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि बाल्यावस्था से आजीवन योग जीवन का हिस्सा बन सके.
   2.5 राज्य के युवाओं को योग ओलम्पियाड जैसी प्रतिस्पर्धात्मक आयोजन में भागीदारी को बढ़ावा देना ताकि राज्य के युवा शारीरिक सौष्ठव एवं शारीरिक कौशल प्रदर्शन के राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य को गौरवांवित कर सके.

3. **परिभाषाएं** :- योग आयोग से आशय है कि यह प्रशासकीय विभाग द्वारा गठित निकाय होगा जो, योग संबंधी जागरूकता, प्रचार-प्रसार एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि बाल्यावस्था से आजीवन योग जीवन का हिस्सा बन सके.

4. **आयोग का प्रशासकीय विभाग** :-
"योग आयोग" का प्रशासकीय विभाग; समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन होगा.

5. **आयोग का गठन** :-

(1) राज्य सरकार एक ऐसे निकाय का गठन करेगी जो "छत्तीसगढ़ योग आयोग" के नाम से ज्ञात होगा. इन नाम का अंग्रेजी रूपांतरण "Chhattisgarh Yoga Commission" होगा.
(2) आयोग में राज्य शासन के मनोनयन से निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त होंगे.
(अ) एक अध्यक्ष
(ब) पांच अशासकीय सदस्य होंगे, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, होंगे.
(3) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मनोनयन के माध्यम से करेगी.

6. **अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि एवं सेवा शर्तें** :-

(I) आयोग का कार्यकाल तीन-तीन वर्ष के कालखण्डों का होगा.
(II) कालखण्ड की गणना, आयोग के गठन के वर्ष से प्रारंभ होगी.
(III) आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के पश्चात् आयोग के वर्तमान कालखण्ड की समाप्ति तक अपने पद को धारण कर सकेंगे.
(IV) पदावधि कार्यकाल को उस तिथि तक के लिए जैसा कि राज्य शासन उचित समझे विस्तावित किया जा सकेगा.
(V) पदाधिकारी को जिस अवधि के लिए मनोनयन से नियुक्त किया गया है, उस अवधि की समाप्ति पर उसका कार्यकाल स्वमेव समाप्त माना जाएगा.
(VI) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों को देय वेतन, भत्ते, सुविधाएं और सेवा सम्बन्धी निबंधन तथा शर्तें ऐसी होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये.
(VII) आयोग में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त/संचालक पदेन शासकीय सदस्य होंगे.
(VIII) आयोग में आवश्यकतानुसार नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर, स्काउट गाईड, युवा आयोग एवं अन्य समूहों के सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकेगा.

7. **आयोग के अधिकारी, कर्मचारी, पद संरचना एवं सेवा शर्तें** :-

(I) आयोग की प्रशासनिक पद संरचना, वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत की जाएगी तथा स्वीकृत पद संरचना अनुसार आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती आयोग द्वारा की जाएगी.
भर्ती हेतु समाज कल्याण विभाग के भर्ती नियमों को आधार के रूप में उपयोग किया जाएगा. प्रतिनियुक्ति या संविदा से भर्ती हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियम निर्देश को आधार के रूप में उपयोग किया जाएगा.
(II) प्रशासकीय विभाग, आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगा जो राजपत्रित प्रथम श्रेणी सेवा या उससे उच्च वर्ग का होगा.
(III) आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते, सेवा शर्ते एवं लागू होने वाले अन्य निमय वही होंगे, जो समकक्ष पद में कार्य करने वाले छत्तीसगढ़ शासन के सिविल सेवकों पर लागू होते है.
(IV) आयोग के तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, कलेक्टर दर वेतनमान वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अध्यक्ष, योग आयोग के स्तर पर गठित समिति नियुक्ति प्राधिकारी होंगे, तथापि अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव, योग आयोग नियुक्ति आदेश जारी करेंगे. राजपत्रित सेवा श्रेणी वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति प्रशासकीय विभाग के परामर्श से आयोग के अध्यक्ष के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जा सकेगी.
(V) आयोग समय-समय पर आवश्यकतानुसार बाह्य स्त्रोतों से विषय विशेषज्ञ, व्यावसायिक सेवा एवं सलाहकार सेवा प्राप्त कर सकेगा तथा इनके लिए परिश्रमिक एवं अन्य अनुषांगिक व्यय राज्य शासन, प्रशासकीय विभाग की सहमति से स्वीकृत कर सकेगा.
(VI) पद संरचना में स्वीकृत अधिकारियों, कर्मचारियों के पदों के अतिरिक्त, आवश्यकता होने पर अस्थाई, प्रतिनियुक्ति, संविदा, दैनिक मजदूरी आदि पर सेवाएं आयोग ले सकेगा. तथा उनके लिए पारिश्रमिक वेतन-भत्ता तथा सुविधा सम्बन्धी विषयों पर प्रचलित नियमों के आधार पर निर्णय ले सकेगा.

8. **वेतन तथा भत्ते का भुगतान एवं सुविधाएं :-**

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तों एवं आयोग के अन्य प्रशासनिक व्यय तथा आयोजन व्यय आदि का भुगतान, राज्य शासन द्वारा आयोग को प्रदत्त अनुदानों से किया जाएगा.

9. **रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी :-**

(I) आयोग का कोई निर्णय, विनिश्चय, आदेश या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है.

(II) एक बार आयोग का गठन होने के पश्चात् आयोग की गतिविधियां निरंतर संचालित होती रहेगी. आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने या अध्यक्ष के साथ-साथ अन्य मनोनीत पदाधिकारियों का पद रिक्त होने पर आयोग का प्रशासनिक अमला, प्रशासकीय विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर, नियमित गतिविधियों को संचालित कर सकेगा एवं आयोग के अनुषांगिक व्यय का भुगतान कर सकेगा.

10. **आयोग के अधिकार, शक्तियां एवं कर्तव्य :-**

(I) आयोग अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेगा.

(II) आयोग ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करेगा जिसके आधार पर वह अपने उद्देश्यों के अनुरूप अनुशंसाएं प्रस्तुत करने हेतु जानकारी प्राप्त कर सके.

(III) आयोग के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने हेतु किसी भी तदर्थ समिति का गठन कर उसमें सदस्यों को मनोनीत कर सकेगा एवं तत्सम्बन्ध में अनुषांगिक भुगतान स्वीकृत कर सकेगा.

(IV) आयोग अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने हेतु बाह्य स्त्रोत से सेवाएं प्राप्त कर सकेगा.

(V) आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पश्चात् माह-जुलाई में अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रस्तुत होगा.

(VI) आयोग द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप एकत्र जानकारी को, युवाओं के संज्ञान में लाने के लिए, पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य साहित्य के रूप में प्रकाशन किया जा सकेगा एवं इलेक्ट्रानिक माध्यमों में भी प्रसारित किया जा सकेगा.

(VII) आयोग के लिए स्वीकृत पदों पर अधिकारी एवं कर्मचारियों की पद संरचना के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग की सहमति से आयोग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकेंगे.

(VIII) आयोग के विभिन्न आयोजनों, प्रकाशन अन्य गतिविधियों, भण्डार क्रय, वेतन भत्ते तथा कार्यालयीन व्यय के लिए व्यय स्वीकृति के पूर्ण अधिकार आयोग के अध्यक्ष को होंगे. अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में उनके अधिकारों का उपयोग प्रशासकीय विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर, आयोग के सचिव कर सकेंगे.

(IX) आयोग के कार्यकलापों के लिए उपलब्ध बजट आबंटन की सीमा में ही आयोग को अपना कार्य सम्पादित करना होगा.

(X) आयोग की ओर से पत्र व्यवहार करने हेतु आयोग के सचिव अधिकृत होंगे.

(XI) बजट आबंटन के अधीन किसी भी आकस्मिक कार्य पर रुपये 1,00,000/- (अंकन रुपये एक लाख मात्र) तक व्यय स्वीकृति के अधिकार, आयोग के सचिव को होंगे.

(XII) आयोग के अशासकीय पदाधिकारियों तथा आयोग के कर्मचारियों के वेतन तथा यात्रा भत्ता देयक को नियमों के अध्यधीन स्वीकृति के अधिकार आयोग के सचिव को होंगे.

11. **आयोग की बैठकें :-**

(I) आयोग की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होगी.

(II) बैठक का दिनांक एवं समय पिछली बैठक में निर्धारित किए गए दिनांक एवं समय के आधार पर या अध्यक्ष की अनुमति से निश्चित की जाएंगी.

(III) आयोग के अध्यक्ष किसी भी समय आयोग की विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे.

(IV) आयोग की वार्षिक साधारण बैठक सामान्यत: माह मई के अंत में निम्नलिखित कार्यों के लिए आहूत की जाएगी.

(अ) आयोग के सचिव द्वारा प्रस्तुत आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तथा विगत वित्तीय वर्ष के वार्षिक आय-व्यय सम्बन्धी विवरण पर विचार करने के लिए.

(ब) आयोग द्वारा आवश्यक समझी गई किसी भी तदर्थ समिति के सदस्यों को मनोनीत करने के लिए.

(स) वर्ष के कार्यक्रम एवं व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए.

(द) अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर विचार करने के लिए.

12. **आयोग की निधि :-**

(I) आयोग, राज्य शासन द्वारा अनुदान प्राप्त करेगा.

(II) केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार के आयोग, अनुदान प्राप्त कर सकेगा.

(III) उपरोक्त उपधारा (i) एवं (ii) में निर्दिष्ट अनुदानों के अतिरिक्त दान, अनुदान, चंदा, आर्थिक सहायता, शुल्क, किराया, विज्ञापन एवं अन्य प्रकार के आयोजनों से भी निधियों की व्यवस्था कर सकेगा.

(IV) आयोग अपनी निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखेगा.

(V) आयोग की निधि का बैंक से आहरण, आयोग के अध्यक्ष के अनुमोदन से आयोग के सचिव एवं उपसचिव सह कोषाध्यक्ष/लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा. यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो प्रशासकीय विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर सचिव एवं उप सचिव सह कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से निधि का आहरण किया जा सकेगा.

(VI) आयोग के वित्तीय लेखों का अंकेक्षण, समाज कल्याण विभाग के अंकेक्षण दल द्वारा भी किया जा सकेगा. प्रशासकीय विभाग द्वारा अधिकृत चार्टेड एकाउण्टेन्ट से कराया जा सकेगा. परन्तु अंकेक्षण विभाग द्वारा आयोग के वित्तीय लेखो के अंकेक्षण हेतु अन्य संस्था का मनोनयन भी किया जा सकेगा.

(VII) आयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखाओं का अंकेक्षण चार्टड एकाउण्टेन्ट से कराकर वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ उपरोक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन संचालनालय समाज कल्याण के माध्यम से विभाग को माह जुलाई में प्रस्तुत करेगा. विभाग द्वारा कभी भी आयोग के वित्तीय लेखो का हिसाब-किताब मांगा जा सकता है, जिसे प्रस्तुत करने के लिए, आयोग बाध्य होगा.

13. **आयोग की कार्यप्रणाली :-**

(I) आयोग निरंतर कार्य करेगा तथा राज्य के युवा कार्यक्रमों से सम्बन्धित विशेषकर योग की गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों पर स्वसंज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करेगा. उक्त कार्यवाही अध्यक्ष के अनुमोदन से सम्पन्न की जाएगी. अध्यक्ष किसी विषय विशेष के लिए अपने अधिकार किसी अन्य पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेंगे.

(II) समय-समय पर आयोजित होने वाली आयोग के समस्त बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पूर्व से अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन हेतु मनोनीत सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, पूर्व से यदि अध्यक्ष द्वारा मनोनयन नहीं किया गया है तो उपस्थित सदस्य अपने बीच से बैठक के लिए सभापति का चुनाव करेंगे. इस प्रकार चुना गया सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा.

(III) आयोग अपने पदाधिकारियों एवं सदस्यों में से एक कार्य समिति का गठन कर सकेगा, यह कार्य समिति ऐसे कार्यों को करने के लिए सशक्त होगी, जो उसे आयोग द्वारा सौंपी जाएं.

(IV) कार्य समिति में अध्यक्ष, सचिव एवं एक या अधिक सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएंगे.

(V) कार्य समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत की जाएगी तथा आकस्मिक मामलों में इस बैठक में निर्णय लिए जा सकेंगे.

(VI) आयोग के अध्यक्ष द्वारा आयोग के मनोनीत सदस्यों के मध्य, क्षेत्र विभाजन, विभाग विभाजन, वित्त विभाजन या आवश्यकतानुसार अन्य विभाजन कर कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकेगा.

(VII) आयोग द्वारा अपनी कार्यप्रणाली पृथक से भी निर्धारित की जा सकेगी, जहां आवश्यक हो आयोग के निर्णय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से अनुमोदित किए जाएंगे. यदि मत बराबर हो तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देंगे.

(VIII) आयोग, अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने हेतु योग से सम्बन्धित कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं से भी सहयोग ले सकेगा एवं आवश्यकतानुसार बाह्य स्त्रोत के रूप में उनकी सेवाएं प्राप्त कर सकेगी.

(IX) आयोग जहां आवश्यक समझे, ग्राम स्तर, मण्डल स्तर (विकासखण्ड को विभाजित कर मण्डल निर्माण), जिला स्तर, राज्य स्तर पर योग सेवा समिति का गठन कर सकेगा एवं इन समितियों में अंशकालिक या पूर्णकालिक योग समन्वयक का मनोनयन कर सकेगा साथ ही उन्हें उचित मानदेय निर्धारित कर भुगतान भी कर सकेगा.

(X) ग्राम स्तर पर योगाभ्यास हेतु योगाचार्यो का मनोनयन तथा योग अभ्यास केन्द्रों में सामान्य कार्य सम्पादन हेतु योग सेवकों का मनोनयन, आयोग द्वारा किया जा सकेगा तथा इनके मानदेय का निर्धारण कर, इन्हें मानदेय भुगतान भी किया जा सकेगा.

(XI) आयोग, राज्य के प्रत्येक ग्राम में योगाभ्यास का उत्साह बना रहे, इसके लिए अवकाश के दिनों में योगाभ्यास के अतिरिक्त ग्राम विकास के अन्य कार्यक्रम जैसे-गांव की सफाई, वृक्षारोपण, व्यसन मुक्ति अभियान, खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, रक्तदान आदि इसी प्रकार के अन्य आयोजन भी कर सकेगा.

(XII) राज्य के युवाओं को योग ओलम्पियाड जैसी प्रतिस्पर्धात्मक आयोजन में भागीदारी को बढ़ावा देना ताकि राज्य के युवा शारीरिक सौष्ठव एवं शारीरिक कौशल प्रदर्शन के राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य को गौरवांवित कर सके.

(XIII) छत्तीसगढ़ योग आयोग राज्य के सभी वर्ग के व्यक्तियों विशेष कर युवाओं के समग्र व्यक्तित्व विकास, जीवन शैली एवं आरोग्य जीवन के लिए योग की आवश्यकता एवं लाभ की जानकारी देंगे तथा योग अभ्यास को बढ़ावा देंगे.

(XIV) छत्तीसगढ़ योग आयोग योग के लाभ एवं योगाभ्यास को सम्पूर्ण राज्य में संभाग जिला विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर तक प्रचारित एवं प्रचलित करेगा.

14. **व्याख्या एवं संशोधन** :-

(I) इस नियम के अन्तर्निहित प्रावधानों के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई व्याख्या अंतिम मानी जाएगी.

(II) योग के प्रभावी एवं व्यावहारिक ज्ञान के लिए विशेषज्ञ एवं तकनीकी संस्थाओं आदि से समय-समय पर जैसा आयोग उचित समझे समन्वय किया जायेगा. जिन प्रावधानों का उल्लेख इन नियमों में नहीं है, उसके सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा.

(III) विभाग अपनी स्वयं की प्रेरणा से "छत्तीसगढ़ योग आयोग" के नियमों में जैसा आवश्यक समझे संशोधन कर सकेगा. आयोग अपने नियमों में संशोधन का प्रस्ताव यदि कोई हो तो विभाग को प्रेषित करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.